

**उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला देहरादून समूह 'ग' सम्मिलित भर्ती परीक्षा-2011 द्वितीय चरण के अन्तर्गत ग्रुप-30 (वाहन चालक) के पदों पर भर्ती हेतु ड्राइविंग परीक्षा आयोजन के उपरान्त परीक्षा परिणाम की घोषणा/अभिलेख सत्यापन की सूचना**

उत्तराखण्ड समूह 'ग' सम्मिलित भर्ती-2011 (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत ग्रुप-30 की लिखित परीक्षा का परीक्षाफल विज्ञापन सं0 6664/उप्राशिप/स0ग0भ0प0/2012 दिनांक :22/2/2013 के द्वारा समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से घोषित किया गया। परिषद् द्वारा जारी विज्ञापन सं0 5586/उप्राशिप/समूह-ग/ड्रा0परी/जी-30/2013-14 दिनांक 22/2/2014 एवं विज्ञापन सं0 5609/उप्राशिप/समूह-ग/ड्रा0परी0/जी-30/2013-14 दिनांक: 24/2/2014 के माध्यम से वाहन चालन परीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के अनुक्रमांकों की सूची जारी की गयी। मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 747 आफ 2016 में दिये गये निर्णय के क्रम में एवं शासनादेश संख्या 1941/XLI-1/2017-42/11 दिनांक 17 नवम्बर 2017 के अनुपालन में उत्तराखण्ड सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2008 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निम्नानुसार अभ्यर्थियों को वाहन चालन परीक्षा हेतु " इन्स्टीट्यूट आफ ड्राइविंग एण्ड ट्रैफिक रिसर्च (IDTR) झाजरा देहरादून" में दिनांक 04 दिसम्बर 2017 से दिनांक 14 दिसम्बर 2017 के मध्य आमंत्रित किया गया। वाहन चालन परीक्षा के उपरान्त लिखित परीक्षा (25 अंक) एवं वाहन चालन परीक्षा (75 अंक) के प्राप्तांकों के योग के अनुसार परीक्षा परिणाम तैयार/जारी कर परिषद् की वेबसाइट [www.ubter.in](http://www.ubter.in) पर अपलोड कर दिया गया है। वाहन चालन परीक्षा में उपस्थित समस्त अभ्यर्थी अनुक्रमांक की प्रविष्टि कर प्राप्तांक का अवलोकन कर सकते हैं। परिषद् में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार कर निम्नानुसार अभ्यर्थियों को दिनांक 9 फरवरी 2018 को पूर्वान्ह 11.00 बजे अभिलेख सत्यापन/विकल्प के अनुसार विभाग आवंटन हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला देहरादून में आमंत्रित किया जा रहा है:-

**अनारक्षित श्रेणी (OP) कट आफ अंक- 73 जन्म तिथि 09-10-1985**

401101043	401101269	401102076	401102267	401103103	401103154	401103203	401201120	401301102	401401038	401501037	401801173	401901173	402001083
401101185	401101332	401102159	401102287	401103113	401103166	401201076	401201149	401301127	401401132	401601030	401901027	401901215	402001154
401101217	401102014	401102168	401103055	401103142	401103202	401201118	401201273	401401003	401401155	401801139	401901148		

**भूतपूर्व सैनिक उप श्रेणी (EX) कट आफ अंक- 71.00 जन्म तिथि 03-04-1970**

401101141	401901216
-----------	-----------

**अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कट आफ अंक- 66.50 जन्म तिथि 07-01-1971**

401101004	401102210	401102268	401103117	401201068	401201197	401401121	401501008	401701071	401701078	401701095	401701146	401901100	402001128
401101144	401102261	401102269	401103168	401201136									

**अनुसूचित जाति श्रेणी (SC) कट आफ अंक- 66.50 जन्म तिथि 27-07-1975**

401102063	401102189	401103208	401201227	401301097	401401152	401601078	401701153	401801106	401901166	401901274	402001126	402001137	402201083
401102096	401102216	401103241	401201270	401401109	401501021	401701058	401701167	401901069					

**अनुसूचित जनजाति श्रेणी (ST) कट आफ अंक- 66.50 जन्म तिथि 09-04-1989**

401102018	401601061	402001136
-----------	-----------	-----------

**नोट:-** अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र ओ0एम0आर0 पैटर्न पर भरे गये थे एवं परिषद् द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ कोई संलग्नक आमंत्रित नहीं किये गये थे। अतः अभ्यर्थियों को पूर्णतः औबन्धिक रूप से अभिलेख सत्यापन में आमंत्रित किया जा रहा है अभिलेख सत्यापन में आमंत्रित करने का तात्पर्य अंतिम चयन नहीं है। अभ्यर्थियों द्वारा पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता, वाहन चालन लाईसेंस तथा आयु सम्बन्धी शर्तें एवं विज्ञापन के अनुसार अन्य शर्तें पूर्ण होने की दशा में ही अंतिम चयन की कार्यवाही की जायेगी। अतः अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में निर्धारित तिथि को निम्नानुसार अभिलेख के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें:- 1. उत्तराखण्ड में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र मूल रूप में एवं 2 छायाप्रति (आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2012 को वैध होना अनिवार्य)। 2. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा-8 उत्तीर्ण अथवा हाईस्कूल की अंकतालिका मूल रूप में एवं 2 छायाप्रति। 3. यथास्थिति भारी, हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नियम-16 के अधीन रिक्त के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो की 2 छायाप्रति एवं मूल प्रति। 4. समस्त आरक्षण आरक्षित वर्ग (GEN(EX), OBC, SC, ST ) के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड का स्थाई निवास प्रमाण पत्र एवं आरक्षण प्रमाण पत्र की 2-2 छाया प्रतियां एवं मूल प्रतियां। 5. लिखित परीक्षा, वाहन चालन परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन हेतु जारी प्रवेश/बुलावा पत्र की 2-2 छायाप्रति। 6. निर्धारित प्रारूप पर भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में (परिषद् की वेबसाइट [www.ubter.in](http://www.ubter.in) पर प्रारूप उपलब्ध है)। अभिलेख सत्यापन हेतु बुलावा पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किये गये हैं।

वि0सं0 2645 /उप्राशिप/समूह-ग/अ0सत्या0/जी-30/2017-18 दिनांक: 15/1/2018

सचिव